[भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड3, उपखंड (i)में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड अधिसूचना सं.-01/2022- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली,तारीख 24 फ़रवरी, 2022

सा.का.नि.....(अ) केंद्रीय माल एवं सेवा करिनयम, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2020 - केंद्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020, जिसे सा.का.नि.196 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खण्ड -3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था में, निमंलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी, शब्द "पचास करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस करोड़ रुपये " प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा.सं.-सी.बी.आई.सी.-20021/1/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन) अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 13/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020को सा.का.िन.196 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया थाऔर उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्या 23/2021 - केंद्रीय कर, दिनांक 1जून 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग ॥, खंड ३, उपखंड (i) में सा.का.िन. 367(अ) दिनांक 1जून 2021, के द्वारा प्रकाशित की गई थी,द्वारा किया गया था।